संख्या-435/अड़सठ-3-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊः दिनाँक 29 मई, 2020

विषयः कोविड-19 महामारी से लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि को सम्मिलित करते हुए मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में योजना से आच्छादित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मध्यान्ह भोजन नियमावली-2015 के अन्तर्गत लॉकडाउन अवधि एवं ग्रीष्म अवकाश के दौरान (30 जून,2020 तक) खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में जनपद, विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः-

1. परिवर्तन लागत

(i) परिवर्तन लागत दिनांक 24.03.2020 से 31.03.2020 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 4.48 प्रतिदिन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 6.71 प्रतिदिन तथा दिनांक 01.04.2020 से प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 4.97 प्रतिदिन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 7.45 प्रतिदिन स्वीकृत है। दिनाँक 24.03.2020 से दिनाँक 30.06.2020 तक रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर कुल 76 दिन होते हैं। आगणन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 374.29 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 561.02 की परिवर्तन लागत देय है। उक्त का संज्ञान लेते हुए प्राथमिक विद्यालय से प्रति छात्र रू0 374.00 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय से प्रति छात्र रू0 561.00 एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इनके माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

(ii) परिवर्तन लागत की धनराशि के भुगतान हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयवार छात्र/छात्राओं के डाटा को एक्सल शीट एवं हार्ड-कॉपी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा डाटा के परीक्षण के उपरान्त छात्र/छात्राओं के नाम के सम्मुख अभिभावक का नाम, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक का नाम तथा उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि के परीक्षण के उपरान्त बैंक एडवाइस के साथ सम्बन्धित बैंक शाखा में प्रेषित की जायेगी। परिवर्तन लागत की धनराशि बैंक शाखा के माध्यम से छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि खाते से डी0बी0टी0 के रूप में आर0टी0जी0एस0 द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।

इस हेतु अपेक्षित है कि आपके स्तर से इस आशय के निर्देश दिये जाये कि प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक तत्काल प्रभाव से विद्यालय में उपस्थित होकर अभिभावकों का बैंक खाता एवं अन्य आवश्यक विवरण चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करें। साथ ही भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा विशेषकर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल-डिस्टेंसिंग संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. खाद्यान्न

(i) प्रदेश में मध्यान्ह भोजन से आच्छादित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को लॉकडाउन एवं ग्रीष्म अवकाश अवधि को सम्मिलित करते हुए निर्धारित (प्राथमिक स्तर हेतु 100 ग्राम प्रतिदिन एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 150 ग्राम प्रतिदिन) की दर से दिनाँक 24.03.2020 से दिनाँक 30.06.2020 के लिए कुल 76 दिन (रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर), प्राथमिक विद्यालयों हेतु 7.60 कि0ग्रा0 प्रति छात्र तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 11.40 कि0ग्रा0 प्रति छात्र खाद्यान्न की मात्रा स्थानीय स्तर पर नामित कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। (प्रथम त्रैमास का खाद्यान्न समस्त जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है)

(ii) प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र (Voucher) निर्गत किया जायेगा। संलग्न प्राधिकार पत्र के प्रारूप को प्रिन्ट कराकर प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जायेगा, उक्त प्राधिकार पत्र में विद्यालय, छात्र/छात्रा का नाम, विद्यालय पंजिका में अंकित पंजीयन संख्या, कक्षा एवं खाद्यान्न की मात्रा अंकित होगी। प्राधिकार पत्र में जारीकर्ता प्रधानाध्यापक का पठनीय हस्ताक्षर व नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना आवश्यक है, जिसके अनुसार कोटेदार द्वारा खाद्यान्न की मात्रा को छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वेक्षण कर उक्त प्राधिकार पत्र, अभिभावक/छात्र–छात्राओं को विद्यालय में बुलाकर अथवा अभिभावकों से सम्पर्क कर अधिकतम 2–3 व्यक्तियों को एक समय पर स्कूल में आमंत्रित करते हुए वितरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में सोशल–डिस्टेंसिंग संबंधी जारी दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन भी सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक है कि जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सहयोग लिया जाये एवं अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रभावी अनुश्रवण करते हुए लॉकडाउन अवधि/ग्रीष्मावकाश में वितरित खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में कुल वितरित खाद्यान्न व परिवर्तन लागत की धनराशि का विवरण मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपर्युक्त समस्त कार्यवाही का सतत एवं प्रभावी अनुश्रवण करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र–छात्राओं के अभिभावकों के खातों में हस्तान्तरित किए जाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जायेगी। उपर्युक्त कार्यवाही का सतत् एवं प्रभावी अनुश्रवण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूरी प्रक्रिया में शासन द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक–प्राधिकार पत्र(Voucher) का प्रारूप।

भवदीया,

15/5/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–435(1)/अड़सठ–3–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्भा रोड़, नई दिल्ली।
5. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त, मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
12. नियोजन अनुभाग–4/वित्त (ई–11)बजट अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव